

अज्ञात केशराराम
 24-01-2022
 की तरह के काल
 का पत्र लिखा गया
 9

दिनांक	आज्ञा	मिनिट
22/2/22	<p>पत्रावली पेश करी। अपीलान्त अतिमाधक उभय पक्ष उपस्थित नैस्ये. अतिमाधक के अंत आरम्भिक आपत्ती पेश की गई कि अपीलान्त आदेश दिनांक 6-9-21 SCM सरकाराहत के विरुद्ध पेश की गई है आदेश अन्तर्गत आदेश है जिसे मार्ग नहीं बताया गया है, तथा अपील विपाद बंद पेश की गई है तथा विपाद कब बाबत तथ्य अंकित नहीं किए गए हैं अपीलान्त अतिमाधक के द्वारा आरम्भिक आपत्ती का अवरुध धारा 225 प्रयोग काल के कारण अपीलान्त 6/9/21 पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाया हुआ कि कोई डाटा प्रयोग काल में विपाद के अवरुध के दिनिष्क भी दी गई है अतः अपील अन्त विपाद नहीं करे उभय पक्ष की बहसपुत्री व पत्रावली के प्रस्तुत तथ्यों का अलोकित किया अपील प्रयोग काल में सुप्रीम कोर्ट के दिनिष्क के आधार पर अन्त विपाद ही बंद की जाती है, अतः ऐसा बड़ी गिना अलग है जो अपीलान्त व्यापक के अंत बंद आया। अतः अन्त व्यापक द्वारा जो आदेश 6-9-2021 को अपीलान्त किया गया है जो अन्तर्गत दिनिष्क आदेश है जिसे को नहीं बताया गया है जो जिस तारीख तक देया गया है वही स्वतः ही निरस्त ^{आया} है है। अतः अपीलान्त अतिमाधक को 11/2/22</p>	

